न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 94/2018

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. मंगलाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकामः—

1/1 राजराम पुत्र मगलाराम

1/2 कल्याण पुत्र मंगलाराम

1/3 महेन्द्र पुत्र मंगलाराम

1/4 पुष्पा पत्री मंगलाराम उम्र 16 वर्ष नबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम

1/5 श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम जातियान पटल निवासीगण वार्ड संख्या—25 उचियार्डा बिलाड़ा तहसोल बिलाड़ा

2 श्रीमती गणकी पत्नी राजूराम जाति पटेल निवासी वार्ड संख्या—25 उचियाडा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी सांगरिया बाईपास शंकरनगर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

2. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रका"ा जाति कुमावत निवासी भिदावतों का अरट कल्पवृक्ष, के आगे नहर के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :— वादीगण की ओर स श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या—3 सरकारी पेरोकार

निर्णय **दिनांक** :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी [illegible]राम, लादूराम, जोराराम पिसरान सुजानराम जातियान सीरवी निवासीगण [illegible] तहसील बिलाड़ा के नाम से थी एवं तीनों का इस भूमि में 1/3—1/3 हिस्सा [illegible] उनकी खातेदारी की भूमि का पहले

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:57 IST
Reason: SelfAttested

एक ही चक था। तीनों तीस साल पहले अलग अलग हुये एवं अपनो भूमि का पारिवारिक बंटवाड़ा किया। पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार उन्होने अपनी इस भूमि के तीन हिस्से कर लिये, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 6071 के प”िचमी हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि टीलाराम के रखी गई तथा खसरा नम्बर 6071 के पूर्वी हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि लादूराम के रखी गई तथा खसरा नम्बर 6071 के पूर्वी प”िचमी हिस्से के बीच में 1/3 हिस्से की भूमि जोराराम के हिस्से में रखी गयी। जिसका नजरी नक्”ाा दावा के साथ संलग्न है, जिसे दावा का अभिन्न अंग समझा जावे। विवादग्रस्त भूमि के सयुक्त खातेदार लादूराम पुत्र सुजानराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि की जरिये रजिस्ट्री वादी संख्या 1 मंगलाराम पुत्र पेमाराम के पक्ष में कर दी एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2233 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा में से 1/3 हिस्सा जो लादूराम के कब्जे का”त एवं हिस्सा का था वो वादी संख्या 1 मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जिस पर कब्जा का”त वादी संख्या 1 का चला आ रहा है तथा इस वर्ष उसने ज्वार की फसल को बोया है एवं उक्त भूमि पर काबिज है। इसी प्रकार विवादित भूमि के सयुक्त खातेदार टीलाराम पुत्र सुजानराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि की जरिये रजिस्ट्री वादी संख्या 2 गणकीदेवी पत्नी राजूराम के पक्ष में कर दी एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2241 स्वीकृत किया जाकर खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा में से 1/3 हिस्सा श्रीमति गणकी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जिस पर कब्जा व का”त वादी संख्या 2 का चला आ रहा है तथा इस वर्ष उसने ज्वार की फसल को बोया है एवं उक्त भूमि पर काबिज है। विवादग्रस्त भूमि के सयुक्त खातेदार जोराराम पुत्र सुजानराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बख्शी”ा अपने पुत्र राजेन्द्र राठौड़ के पक्ष में कर दिया, जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1757 स्वीकृत किया गया, तत्प”चात् राजेन्द्र राठौड़ पुत्र जोराराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी चम्पालाल के पक्ष में कर दिया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 2271 स्वीकृत किया गया है। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति दुर्गादेवी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बैचान दिनांक 03.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार के पक्ष में कर दिया गया है। जो प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार एक अजनबी क्रेता है। अभी दिनांक 07.10. 2018 को विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 2 मौके पर दस पन्द्रह आदमियों को साथ में लेकर आया और वादी संख्या 1 व 2 की खड़ी ज्वार की फसल को काटना शुरू कर दिया जिस पर वादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 2 को ऐसा कृत्य करने से रोका तो प्रतिवादी संख्या 2 तथा उसके पिता ओमप्रका”ा ने वादी संख्या 1 व 2 को धमकी देते हुए कहा कि आपने भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में 2/3 हिस्से बाबत् का आममुख्त्यार मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया है, आपने मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में लिखे गये इकरारनामा, आममुख्त्यारनामा दिनांक 22.09. 2018 को निरस्त कैसे कर दिये है, कि [illegible] सम्पूर्ण भूमि मेरी है, आपकी भूमि पर जबरन कब्जा व का”त कर लिया, आप विवादित भूमि को छोडकर चल जावों, यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:57 IST
Reason: SelfAttested

सुनकर वादीगण बड़े आ”चर्यचकित हुये। फिर भी वो जबरदस्ती वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है तथा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज कराने पर उतारू है। अतः उन्हे रोकने के लिए वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पे”ा करना पड़ रहा है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। मौके पर विवादग्रस्त भूमि के तीन हिस्से अलग अलग किये हुये है, जिसके अनुसार प”िचमी हिस्से के 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 1 का तथा पूर्वी हिस्से के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का एवं पूर्वी प”िचमी हिस्स के बीच वाले भाग के 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 2 का कब्जा व का”त निर्बाध रूप से अलग–अलग चला आ रहा है, लेकिन विवादित भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से आज दिन तक कब्जे अनुसार का बंटवाड़ा नही किया जा सका है। अतः वादीगण अपने कब्जे का”त की भूमि का बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है।यह कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/3–1/3 हिस्सा की भूमि अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का आदे”ा फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 11.11.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से वादी सख्या–1/1 से 1/5 के 1/3 हिस्से तथा वादी संख्या–2 के 1/3 हिस्से का कब्जा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर बंटवाड़ा की डिक्री प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा दिया गया जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने उक्त भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में सें 0.2372 हक्टयर यानि 2/3 हिस्सा में कल्याण पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा, दवी पत्नी मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा, पष्पा पुत्री मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा, महेन्द्र पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा, राजूराम पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा, गणकी पत्नी राजूराम 1/3 वां हिस्सा सा. देह खातेदार के बंट में सयक्त रूप से रखी गयी है। इसी अनुसार खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 0.1186 हैक्टयर यानि 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 दुर्गादेवी पत्नी चंम्पालाल के बट में रखी गयी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपति दर्ज नही करवायी है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक”ाा के अनुसार भूमि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–4 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 0.2372 हैक्टेयर में राजराम पुत्र मंगलाराम 1/[illegible] हिस्सा (वादी संख्या 1/1), कल्याण पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हि[illegible] 1/2), [illegible] पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/3), पुष्पा पुत्री [illegible]लाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:57 IST
Reason: SelfAttested

1/4), श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/5), श्रीमती गणकी पत्नी राजूराम 1/3 वां हिस्सा (वादी संख्या 2) की संयुक्त खातेदारी को घोषित की जातो है। तथा इसी अनुसार **खसरा नम्बर 6071/1** रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा यानि 0.1186 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या–1 का खातेदारी का घोषित किया जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक"ाा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार इसी आ"ाय की भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक"ाा ट्रेस में अलग–अलग इन्द्राज करने का तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की बंटसुदा संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 0.2372 हैक्टेयर की घोषित भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फै"ालसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक ....को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:57 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. मंगलाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकामः–		1. श्रीमति दुर्गादेवी पत्नी चम्पालाल जाति कुम्हार निवासी सांगरिया बाईपास शंकरनगर, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
1/1 राजराम पुत्र मगलाराम		2. सुनील कुमार पुत्र ओमप्रका”ा जाति कुमावत निवासी भिदावतों का अरट कल्पवृक्ष, के आगे नहर के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
1/2 कल्याण पुत्र मंगलाराम		3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर
1/3 महेन्द्र पुत्र मंगलाराम		
1/4 पुष्पा पत्री मंगलाराम उम्र 16 वर्ष नबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम		
1/5 श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम जातियान पटल निवासीगण वार्ड संख्या–25 उचियार्डा बिलाड़ा तहसोल बिलाड़ा		
2 श्रीमती गणकी पत्नी राजूराम जाति पटेल निवासी वार्ड संख्या–25 उचियाडा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 94/2018

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सख्या–3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–4 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 0.2372 हैक्टेयर में राज्राम पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/1), कल्याण पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/2), महेन्द्र पुत्र मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/3), पुष्पा पुत्री मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/4), श्रीमती देवली पत्नी मंगलाराम 1/15 वां हिस्सा (वादी संख्या 1/5), श्रीमती गणकी पत्नी राजूराम 1/3 वां हिस्सा (वादी संख्या 2) को [illegible] का घोषित की जाती है। तथा इसी अनुसार **खसरा नम्बर 6071/1** रकबा 02 [illegible] 04 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा यानि 0.1186

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:57 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टयर प्रतिवादी संख्या–1 का खातेदारी का घोषित किया जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्”ाा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार इसी आ”ाय की भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्”ाा ट्रेस में अलग–अलग इन्द्राज करने का तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की बंटसुदा सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6071 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 0.2372 हैक्टेयर की घोषित भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:57 IST
Reason: SelfAttested